

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वितीय अजमेर द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार बूढ़ा पुष्कर सरोवर तक मुख्य फीडर एवं लेटरल के निर्माण हेतु ग्राम कानस, होकरा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर